संख्याः– 415 /उन्तीस(2)/12–2(05पे0)/2010

(101)

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 18 अप्रैल, 2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 449/215–रा0यो0आ0/वा0जि0यो0/2011–12 दिनांक 06–04–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद हरिद्वार में हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु ₹ 2.21 लाख (₹ दो लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत कम्प्यूटर द्वारा जारी आई.डी.संख्याः H1204130139 (प्रति संलग्न) से राज्यांश के रूप में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– आवंटित धनराशि का आहरण उत्तराखण्ड पेयजल निगम के नोड़ल अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

3– स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन शासनादेश संख्याः 1016/उन्तीस/05–2–पे0/2005 दिनांक15–05–2005 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मा0 सांसद, मा0 विधायकगण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता, जिला पंचायत के प्रतिनिधि एवं मुख्य विकास अधिकारी को सम्मिलित कर समिति गठित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर मा0 विधायकगणों की संस्तुति उपरान्त निर्धारित कर ली जाय। धनराशि का व्यय अनुमोदित स्थलों/कार्यो पर ही किया जायेगा। ऐसे कार्यो पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है अथवा जो विवाद ग्रस्त है।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एवं विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ– साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। गुणवत्ता हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–08–2012 तक पूर्ण उपयोग कर उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं धनराशि के उपयोग का विवरण मासिक रूप से भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

.....2...

7– स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्प ऐसे स्थानों पर कदापि नहीं लगाये जायेंगे जहॉ पर पूर्व में हैण्डपम्प अधिष्ठापित हो।

8– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल –91– हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

9– यह शासनादेश राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्याः 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24–03–2008 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30–03–2012 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्न– यथोक्त

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः– 415(1)/उन्तीस(2)/12–2(05पे0)/2010,तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
10. प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
12. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
13. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
14. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव